



Form No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

रामकिशन बनाम घासीराग व अन्य


तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या <u>20</u> <u>12/01/22</u> वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	--	--

01.2022 आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
 अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 22.02.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि 221/0.02, 306/0.21, 307/0.04, 393/0.03, 421/0.09 है0 वाके ग्राम मसीत तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति ना करें।
 क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

22/02/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का केस उपर्युक्त प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख 22/02/22 तक अस्थाई करे।
 ही पत्रावली मूल दावा के साथ हिस्से 10/05/22 में पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

27/04 आज पत्रावली दादी प्रार्थी के दावा पर पेश की। वही दावा दादी के पत्रावली मूल दावा के साथ पेश किया है तथा दावा प्रार्थी के हिस्से में पेश किया जाता है इस पूर्व में प्रार्थी 12 आदेश में प्रार्थी के पत्रावली बाद निर्णय लिखकर मूल दावा हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0